



संज्ञा नं० एल. उल. वि. पी. 581

साहसंस् नं० 320-पी०-41

साहसंस् टू पोस्ट एंड कन्सिडरल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1991

चैत्र 14, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 532 / सखह-वि-1--1 (क) 3-1991

लखनऊ, 21 मार्च, 1991

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यमाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 19 मार्च, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1991

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1991]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के कयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधि विरम, 1991

कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 सन् 1966
की धारा 29
का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे :

धारा 35 का
संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4-- (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

ग्राज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

No. 532 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-3-1991

Dated Lucknow, March 21, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 19, 1991.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1991

[U. P. Act No. 14 of 1991]

(As passed by the U.P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1990.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso for the word and figures "December 31, 1990" the word and figures "June 30, 1991" shall be substituted.

Amendment of section 35.

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the word and figures "December 31, 1990" the word and figures "June 30, 1991" shall be substituted.

Repeal and Saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1990, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance No. 33 of 1990

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी० एच० यू० पी०--ए० पी० 351 ता० (विधा०)--(3633)--1991--850 (मेक०) ।